NSW GOVERNMENT

हमारे ऐज्ड केयर (वयोवृद्ध देखभाल) के निवासियों को COVID-19 से सुरक्षित रखने में सहायता करें

COVID-19

Hindi

रेज़ीडेन्शियल ऐज्ड केयर में कर्मचारियों के लिए, अपने काम के प्रकार पर निर्भर करते हुए, 17 सितम्बर या 31 अक्तूबर 2021 तक COVID-19 वैक्सीन (टीके) की कम से कम एक खुराक प्राप्त करना आवश्यक है।

17 सितम्बर 2021 तक किसे टीका लगवाने की ज़रूरत है?

रेज़ीडेन्शियल ऐज्ड केयर केन्द्र के सभी कर्मचारियों को, जिनमें कांट्रेक्टर और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हैं, और केन्द्र पर सेवाएँ प्रदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जिनमें शामिल हैं:

- नर्सें, निजी देखरेख कर्मी, एलाइड हेल्थ पेशेवर, एलाइड हेल्थ सहायक
- सहायक कर्मचारी, जैसे कि कुक (रसोइए) और खाद्य सेवाओं तथा साफ-सफाई में काम करने वाले लोग
- जीवनशैली और सामाजिक देखभाल कर्मचारी, जैसे कि संगीत/कला चिकित्सा, परिवहन ड्राइवर
- नाई, केश सज्जा आदि
- रेज़ीडेन्शियल ऐज्ड केयर केन्द्र द्वारा नियुक्त स्वयंसेवी
- प्रशासनीय कर्मचारी – रिसेप्शन; प्रबंधकीय वर्ग; एडमिनिस्ट्रेशन; सिक्योरिटी
- केन्द्र द्वारा नियुक्त चिकित्सीय पेशेवर
- केन्द्र में आने वाले स्वास्थ्य पेशेवर, इनमें केन्द्र द्वारा नियुक्त फॉर्मेसिस्ट, डेन्टिस्ट और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर शामिल हैं

31 अक्तूबर 2021 तक किसे टीका लगवाने की ज़रूरत है?

- स्वास्थ्य पेशेवर, इनमें केन्द्र द्वारा नियुक्त फॉर्मेसिस्ट, डेन्टिस्ट, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, पोडाइट्रिस्ट और फिज़ियोथेरेपिस्ट शामिल हैं
- विद्यार्थी

रेज़ीडेन्शियल ऐज्ड केयर केन्द्र में काम करना जारी रखने के लिए यह ज़रूरी है कि आपको COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली हो।

यदि आपने COVID-19 वैक्सीन की एक खुराक प्राप्त नहीं की है, तो अपने मैनेजर के साथ, जितनी जल्दी संभव हो सके, टीकाकरण करवाने के बारे में बात करें।

आपका कार्य-स्थल ऑन-साइट (स्थल पर) टीकाकरण क्लिनिक का प्रबंध कर सकता है, या आप किसी जनरल प्रेक्टिस, एबोरिजनल कम्युनिटी कंट्रोल्ड हेल्थ सर्विस (जनजातीय सामुदायिक नियंत्रित स्वास्थ्य सेवा) या राष्ट्रमंडल की टीकाकरण क्लिनिक (जी.पी. रेस्पीरेटरि क्लिनिक) पर एपॉइंटमेंट बुक कर सकते/सकती हैं।

आप NSW Health की टीकाकरण क्लिनिक पर भी एपॉइंटमेंट बुक कर सकते/सकती हैं या वॉक-इन क्लिनिक या भाग लेने वाली फॉर्मेसी में भी जा सकते/सकती हैं।

एपॉइंटमेंट बुक करने के लिए www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/get-your-covid-19-vaccination-nsw पर जाएँ या अपने नजदीक एक वॉक-इन क्लिनिक या भाग लेने वाली फॉर्मेसी का पता लगाएँ।

पूछे जाने वाले आम सवाल

क्या मैं यह फैसला ले सकता/सकती हूँ कि मुझे कौन सी वैक्सीन मिलेगी?

रेज़ीडेन्शियल ऐज्ड केयर के कर्मचारी Pfizer (Comirnaty) COVID-19 वैक्सीन के लिए पात्र हैं परन्तु वे AstraZeneca (Vaxzevria) COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने का भी फैसला ले सकते हैं।

दोनों में से किसी भी वैक्सीन की एक खुराक Delta प्रकार से ग्रस्त होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति और मृत्यु होने की स्थिति से लगभग 70% संरक्षण देती है और आपके आसपास के लोगों में COVID-19 का फैलाव होने को महत्वपूर्ण तौर पर कम करती है। दोनों वैक्सीनों में से किसी भी एक टीके की दोनों खुराकें 90% के करीब संरक्षण प्रदान करती हैं, और संरक्षण अधिक लम्बी अवधि तक रहेगा।

क्या लॉकडाउन के दौरान मैं टीका लगवा सकता/सकती हूँ?

हाँ, पूरे NSW में घर-पर-रहने के प्रतिबंधों के अधीन COVID-19 टीकाकरण की अनुमति है। यदि आप एक क्लोज़ या कैजुअल कांटेक्ट हैं या यदि आपको COVID के कोई लक्षण हैं तो टीकाकरण करवाने के लिए घर से बाहर न जाएँ।

यदि मैं टीकाकरण करवाने से मना करता/करती हूँ तो क्या होता है?

यदि आप COVID-19 टीकाकरण आवश्यकता लागू होने की तिथि वाले दिन इसे पूरा नहीं करते/करती हैं तो आप सेवा पर काम करना जारी नहीं रख सकते/सकती हैं।

सभी कर्मचारियों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेना, काम के प्रकार पर निर्भर करते हुए, 17 सितम्बर 2021 या 31 अक्तूबर 2021 से रेज़ीडेन्शियल ऐज्ड केयर केन्द्रों में काम करना जारी रखने की एक आवश्यकता है।

यदि समय-सीमा से पहले मुझे अपनी पहली खुराक नहीं मिलती है तो क्या होता है?

जन स्वास्थ्य आदेश लागू होने की तिथि से आवश्यकताएँ पूरी न करने वाले सभी कर्मचारियों को स्थल पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप टीकाकरण की आवश्यकता लागू होने की तिथि को इसे पूरा नहीं करते/करती हैं, तो आप सेवा पर काम करना जारी नहीं रख सकते/सकती हैं।

क्या चिकित्सीय कारणों की वजह से कोई छूट उपलब्ध है?

किसी कर्मचारी को केवल उसी परिस्थिति में छूट दी जाएगी यदि चिकित्सीय कारणों की वजह से उन्हें दोनों उपलब्ध वैक्सीन न लगाने की सलाह दी गई हो।

मैं गर्भवती हूँ और/या स्तनपान करा रही हूँ – क्या मुझे किन्हीं बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है?

गर्भवती महिलाएँ अब Pfizer (Comirnaty) COVID-19 टीकाकरण के लिए पात्र हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूज़ीलैंड कॉलेज ऑफ़ ओब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट (RANZCOG) और टीकाकरण पर ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी सलाहकारी समूह (ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइज़ेशन, ATAGI) यह सलाह देते हैं कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के किसी भी चरण में नियमित रूप से Pfizer (Comirnaty) COVID-19 वैक्सीन की पेशकश की जाए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं या गर्भवती बनने की योजना बनाने वाली महिलाओं को भी Pfizer (Comirnaty) COVID-19 वैक्सीन प्राप्त करने का सुझाव दिया जाता है। जो महिलाएँ गर्भवती बनने की कोशिश कर रही हैं उन्हें टीकाकरण में देर करने की ज़रूरत नहीं है या टीकाकरण के बाद गर्भवती बनने से परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों या यह चर्चा करने के लिए कि आप जितनी जल्दी संभव हो सके टीकाकरण कैसे करवा सकती हैं, कृपया अपने जी.पी. या प्रासंगिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। गर्भावस्था और स्तनपान कराने की स्थिति को चिकित्सीय तौर पर Pfizer (Comirnaty) COVID-19 वैक्सीन से छूट दिए जाने का कारण नहीं माना जाता है और इसलिए जन स्वास्थ्य आदेश के अधीन इन स्थितियों को छूट प्राप्त नहीं है।

इस जन स्वास्थ्य आदेश के बारे में और अधिक जानकारी के लिए तथा इसका आपके लिए क्या अर्थ है, यह जानने के लिए, **www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/aged-care.aspx** पर जाएँ

August 2021 © NSW Ministry of Health. SHPN (SHEOC) 210750 - Hindi